

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि/परीक्षा-2/गोप0/2010/2201

दिनांक : 14.12.2010


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के लिये जिनके परीक्षा परिणाम अनुचित साधन प्रकरण/पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना एवं रूके हुये होने के कारण बाद में घोषित किये गये हैं और उन्हें पूरक परीक्षा दिसम्बर, 2010 में बैठने की पात्रता है तो ऐसे छात्र पूरक परीक्षा के आवेदनपत्र बिना विलम्ब शुल्क के दिनांक 20.12.2010 तक जमा कर सकते हैं।

संबंधित छात्र अपने परीक्षा आवेदन-पत्र महाविद्यालयों से ऑनलाईन भर कर चालान बैंक में जमा कर संबंधित महाविद्यालय में जमा कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट करायें।

संबंधित महाविद्यालय सर्वप्रथम NEW EXAM FORM ऑप्सन में जाकर परीक्षार्थी का पूर्ण विवरण भरें। उसके पश्चात् PRINT EXAM FORM आप्सन से फार्म एवं चालान प्रिन्ट करें तथा चालान बैंक में जमा करवाकर छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाकर वेबसाइट पर छात्रों के आवेदन-पत्र अपडेट करें। यहां विशेष ध्यान रखा जायें कि जब NEW EXAM FORM आप्सन में छात्र का पूर्ण विवरण, जैसे पूर्व रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, विषय आदि भरें। साथ ही STATUS ऑप्सन में SUPP. ऑप्सन को अनिवार्य रूप से भरें और छात्र की जिस विषय में पूरक है, केवल उसी विषय को भरें। स्टेटस ऑप्सन में रेग्यूलर अथवा अन्य ऑप्सन चुनने तथा एक विषय से अधिक विषय भरने के कारण फार्म एवं चालान प्रिन्ट नहीं होगा। इसलिये स्टेटस ऑप्सन एवं विषय सही भरें।

सर्वसम्बंधित के सूचनार्थ प्रसारित।


कुलसचिव,

प्रतिलिपि :-

1. संपादक महोदय की ओर इस निवेदन के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में उक्त अधिसूचना को समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही कर परीक्षा कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
3. उप/सहायक-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. वित्ताधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
7. इंचार्ज इन्टरनेट प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
8. पूछताछ कक्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
9. इंचार्ज संबंधित कक्षा के प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप-कुलसचिव (गोपनीय)